राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	राजेन्द्र बनाम गीता हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित	अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित	अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/01/2026 को पेश हो।	
16/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि खसरा नम्बर 388 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 389 रकबा 0.76 है., खसरा नम्बर 677 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 247 रकबा 2.55 है. कुल किता 04 कुल रकबा 3.44 है. भूमि वाके ग्राम रामनिवास तहसील चाकसू में स्थित है। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 2 के हक में वादीया के पिता की पैतृक सम्पति का हक त्याग कर दिया गया था, जो कि वादिया व प्रतिवादी सं0 4 व 5 के हको के विरूद्ध जाकर किया गया था। उक्त हक त्याग पत्र दिनांक 20.12.2004 को माननीय सिविल न्यायाधीश कम-3 जयपुर महानगर में निरस्त करने हेतु वादीया ने एक वाद दायर किया था। उक्त वाद में वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होने पर माननीय सिविल न्यायाधीश उक्त हक त्याग पत्र दिनांक 20.12.2004 को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार उक्त हक त्याग पत्र का अब कोई विधिक मूल्य नहीं रह गया है अर्थात उक्त हक त्याग पत्र निरस्त हो चुका है। वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 का 1/6, 1/6 हक व हिस्सा बनता है और इसी अनुसार राजीनामा इन्हीं शर्तों के अनुसार हुआ था, परन्तु अब प्रतिवादी सं. 2 व 3 राजीनामे की पालना नहीं कर रहे है और उक्त सम्पूर्ण भूमि का हिस्सा वादीया व शेष प्रतिवादीगण को नहीं देना चाहता है, जबकि वादीया व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 का 1/6, 1/6 हिस्सा बनता है। अतः वाद बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर वादीया व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 को प्रत्येक को वादग्रस्त आराजी का 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर इस हेतु राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये	तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 3 ने उपस्थित होकर एक राजीनामा प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 388 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247 रकबा 2.55 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

राजेन्द्र बनाम गीता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रकबा 3.44 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम रामनिवास तहसील चाकसू में वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 26/05/2015 पारित करते हुये खसरा नम्बर 388 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247 रकबा 2.55 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 3.44 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम रामनिवास तहसील चाकसू में वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये | जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद एवं प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी के साथ यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी एवं अधिवक्ता रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में आपसी सहमति से राजीनामे के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये है एवं विधि अनुसार लोक अदालत में सहमति से पारित निर्णय व डिक्री को अपील के माध्यम से चुनौती नही दी जा सकती है | अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी व दफा-5 कानून मियाद निस्तारित करते हुये अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 16/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |